



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032021-225764
CG-DL-E-10032021-225764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1008]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942

No. 1008]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 1096(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/इसके तहत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में ज़ोन-डी की ज़ोनल विकास योजना में कुछ संशोधन करना चाहती है, उनको दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के परंतुकों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.11.2015 के सार्वजनिक नोटिस संख्या: का.आ. 2997 (अ) के रूप में भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों के अंदर, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) के तहत यथाअपेक्षित, आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त एक आपत्ति/सुझाव पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किए गए जांच और सुनवाई मंडल द्वारा विचार किया गया है तथा इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित भी कर दिया गया है।

3. जबकि, केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/ ज़ोन-जे की ज़ोनल विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय किया है।

4. इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/ ज़ोन-जे की ज़ोनल विकास योजना में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन:

ज़ोन-डी के अंतर्गत आने वाली भूमि के निम्नलिखित क्षेत्र का भूमि उपयोग नीचे सूचीबद्ध विवरण के अनुसार परिवर्तित कर दिया गया है:

स्थान	क्षेत्रफल	एमपीडी- 2021/ ज़ैडडीपी के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग में परिवर्तन	सीमा रेखा
1	2	3	4	5
योजना ज़ोन-डी के अंतर्गत पॉकेट-V, डीडीयू मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी (दिल्ली प्रदेश) का प्रस्तावित कार्यालय	809 वर्ग मीटर	एमपीडी-2021 के अनुसार- 'आवासीय (नर्सरी स्कूल)' एमपीडी-2001- '(आवासीय पुनर्विकास क्षेत्र)' के अंतर्गत तैयार ज़ोन-डी की अनुमोदित ज़ोनल विकास योजना के अनुसार	'सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं'	उत्तर: मौजूदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दक्षिण: स्टाफ क्वार्टर और रेलवे लाइन पूर्व: प्रस्तावित 20 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिम: मौजूदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

[फा. सं. के-13011/4/2021-डीडी-1]

उपेंद्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 1096(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 /Zonal Development Plan of Zone 'D' regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 2997 (E) dated 03.11.2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, one objection / suggestion received with regard to the proposed modification have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021/ Zonal Development Plan of Zone-D.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021/ Zonal Development Plan of Zone-D with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per description listed below:

Location	Area	Land use as per MPD-2021/ ZDP	Land use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Proposed office of Bhartiya Janta Party (Delhi Pradesh) at Pocket –V, DDU Marg falling in Planning, Zone-D	809 sq.m.	As per MPD-2021- ‘Residential (Nursery School)’	‘Public & Semi-Public facilities’	North: Existing Senior Secondary School South: Staff Quarters & Railway line East: Proposed 20 m wide Road West: Existing Senior Secondary School
		As per approved Zonal evelopment Plan of Zone-D prepared under MPD-2001- ‘Residential (Redevelopment Area)’		

[F. No. K-13011/4/2021-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.